

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या-01/2024-25

हाड़ीराम पाल एवं अन्य बनाम मदन पाल एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

21-12-2024

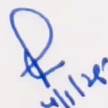
04-01-2025

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 422 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा विविध वाद सं0-18/2023-24 को इस न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ था। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विवादित भूमि में दर्ज जमाबंदी जो ऑनलाईन भाग सं0-32, पृष्ठ सं0-384 को रद्द करने हेतु अनुशंसा की गई है।

विवादित भूमि का विवरण			
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	रैयत का नाम
नारायणपुर	33	276, 277, 278	मदन पाल एवं अन्य

उपरोक्त वाद में नोटिस निर्गत कर विधिवत सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने लिखित बहस में कहा गया कि मौजा-नारायणपुर, थाना-पिण्डाजोरा, खाता नं0-276, 277, 278 के संबंधित प्लॉट के भू-खण्ड को अंचल कार्यालय, चास को फर्जी कागजात दिखाकर गुमराह करते हुए विपक्षी द्वारा ऑनलाईन नाम दर्ज करवा लिया गया है, जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप अंचल कार्यालय द्वारा विविध वाद 18/2023-24 की कार्रवाई प्रारम्भ कर सुनवाई की गयी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विपक्षी द्वारा अंचल कार्यालय में एक भी दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित वाद में आदेश निर्गत कर जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वे खतियान मित्तल पाल के नाम से दर्ज है एवं मित्तल पाल के दो पुत्र हुए कुजु पाल एवं बानेश्वर पाल। बानेश्वर पाल के एक पुत्र-बिनोद पाल एवं बिनोद पाल के दो पुत्र-1. हाड़ीराम पाल एवं बासुदेव पाल हुए। उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि बानेश्वर पाल के पुत्र बिनोद पाल के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद JH22A096701 dtd. 13-09.2015, JH22A096700 dtd. 05.09.2015, JH22A096719 dtd. 09.09.2015 2015-16 तक निर्गत है।



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी को फर्जी राजस्व कागजात के आलोक में रद्द की जाय। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वे खतियान मित्तल पाल के नाम से दर्ज है एवं मित्तल पाल के दो पुत्र हुए कुजु पाल एवं बानेश्वर पाल। इनके द्वारा बताया गया कि कुजु पाल के चार पुत्र हुए जो क्रमशः 1. राखाल पाल, 2. अभी पाल, 3. दपु पाल, 4. शम्भु पाल। बानेश्वर पाल के एक पुत्र-बिनोद पाल एवं बिनोद पाल के दो पुत्र-1. हाड़ीराम पाल एवं बासुदेव पाल हुए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक हाड़ी राम पाल एवं बासुदेव पाल द्वारा अपने हिस्से की जमीन को बिक्री कर दिया गया तथा जमीन की कीमत बढ़ने के बाद जाली कागजातों के आधार पर मेरा जमीन को हड़पना चाहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि खाता नं० 276, 277, 278 में विपक्षी मदन पाल पिता-राखाल पाल के नाम से ऑनलाईन रसीद निर्गत है, जिसका रसीद सं०-559415, 361843, 361841 है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर विविध वाद सं०-18/2023-24 वाद को प्रारम्भ किया गया एवं बिना हमलोगों को नोटिस निर्गत किये एक तरफा आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विविध वाद सं०-18/2023-24 में राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरासर गलत है। उनके द्वारा कोई जाँच नहीं किया गया तथा हाड़ी राम पाल के कहने पर प्रतिवेदन तैयार किया गया, जो सरासर गलत एवं गैर कानूनी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विविध वाद सं०-18/2023-24 में विपक्षी मदन पाल के अनुपस्थिति में विपक्षी के बिना कागजात को देखे मदन पाल के नाम से खाता नं० 276, 277, 278 जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई, जो सरासर गलत है। राखाल के पुत्र मदन पाल के नाम पर ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 384 खाता नं० 276, 277, 278 मदन पाल के नाम से जमाबंदी दर्ज है और ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है, जो पेज सं० 384, भोलूम नं० 32, रसीद नं० 05310282730 में मदन पाल के नाम से दर्ज है।	

की
ख्या
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

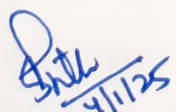
संबंधित भूमि पर विपक्षी मदन पाल का दखल-कब्जा है एवं प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का न हक है और न ही हिस्सा है। खाता नं० 276, 277, 278 ऑनलाईन पोर्टल भाग 32, पृष्ठ 384 में मदन पाल एवं अन्य का नाम दर्ज है। जिसका थोका सं० 50 है, परन्तु मदन पाल के नाम से निर्गत ऑनलाईन रसीद में थोका संख्या किसी कारणवश 3505 अंकित हो गया, जिसे सुधार हेतु अंचल कार्यालय में कागज प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है।

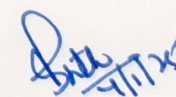
द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद सं० 18/2023-24 में पारित आदेश को रद्द किया जाय एवं खाता नं० 276, 277, 278 में मदन पाल के नाम से दर्ज जमाबंदी बरकरार रखा जाय एवं हाड़ीराम पाल एवं बासुदेव पाल के आवेदन पत्र को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के सुनने, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद सं० 18/2023-24 में पारित आदेश एवं पूर्ण विवेचनोपरान्त प्रथम पक्ष की दर्ज जमाबंदी को सम्पूष्ट किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में द्वितीय पक्ष मदन पाल के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है। इसी आशय से इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

यह आदेश पूर्णतः अपील्य है। यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो वह इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।